न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

17 / 2025

श्री एस एम सिंघल , पुराने पोस्ट आफिस के पास बड़ा बाजार निवाई तहसील निवाई जिला टोंक।

--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 06.03.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2024 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

1. मान्यवर जी टोंक उनियारा एवं निवाई तहसील के विभिन्न कार्यालयों में (स्वायत शासन के विभागों सहित) अनुकम्पा नियुक्ति पर सेवारत कार्मिकों की संख्या (पुरूष एवं महिला की अलग–अलग) जानकारी उपलब्ध कराने का श्रम करें।
2. अनुकम्पा नियुक्ति में लाभार्थी का मृत कर्मिक से नजदीकी का सम्बन्ध की जानकारी उपलब्ध कराने का श्रम करें।
3. वर्तमान में अनुकम्पा नियुक्ति में लाभार्थी के पद का नाम व मृत कार्मिक के पद का नाम की जानकारी उपलब्ध करावे।
4. अनुकम्पा नियुक्ति में लाभार्थी के पद का नाम (यदि उसे लिपिक पद पर हो तो) लाभार्थी कार्मिक के द्वारा कम्प्यूटर / टाईपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि की जानकारी उपलब्ध कराने का श्रम करें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 293 दिनांक 25.02.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 243 दिनांक 03.03.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र भिन्न–भिन्न लोक सूचना अधिकारियों से सम्बन्धित होने कारण प्रार्थना–पत्र खारिज कर इस बाबत अपीलार्थी को पत्र कमांक 95 दिनांक 23.01.2025 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

627

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक